न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2026

एक्सिस बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यश जोशी जिसका पंजीकृत कार्यालय त्रिशूल, तीसरी मंजिल, समथेश्वर मन्दिर, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज अहमदाबाद— 380006 तथा कार्यालय के—21, सन्नी हाउस, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर, राजस्थान— 302001 मे स्थित व कार्यरत है।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण, पता वार्ड संख्या 17, स्वामिया की ढाणी, गुढा गौडजी, जिला झुंझुनूं 333022 अन्य पता श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण, पता फ्लेट नं0 ई—ए—डीए/जी/09, मारूति रेजीडेन्सी, ग्राम नानी, पालवास रोड, सीकर, राजस्थान—332001
2. मैसर्स रमेश एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण, पता कंवरपुरा रोड, सीकर, राजस्थान—332001
3. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री रमेश कुमार, पता वार्ड नं0 17, गुढागौडजी, कजला झुंझुनूं, राजस्थान— 333022
4. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री रमेश कुमार, पता फ्लेट नं0 ई—ए—डीए/जी/09, मारूति रेजीडेन्सी, ग्राम नानी, पालवास रोड, सीकर, राजस्थान—332001

—अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—
एडवोकट श्री उम्मेद सिंह— प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 19.02.2026

प्रार्थी एक्सिस बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी/सहऋणी/बंधनकर्ता श्री रमेश कुमार, मैसर्स रमेश एन्टरप्राईजेजव संतोष देवी को सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण राशि रूपये 5,67,000/— रूपये (अक्षरे पांच लाख सडसठ हजार रूपये) की ऋण राशि जरिये नीचे दिये गये ऋण खाते के अनुसार स्वीकृत की गई थी तथा इस हेतु ऋणी/सहऋणी/बंधनकर्ता के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था।

ऋण स्वीकृति दिनांक	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि
15.03.2019	PHR001004333547	रू0 5,67,000/—

उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— अचल सम्पत्तिः— फ्लेट नं0 ई—ए—डीए/जी/09, मारूति रेजीडेन्सी, ग्राम नानी, पालवास रोड, सीकर, राजस्थान—332001 मे स्थित है जो कि श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री रमेश कमार व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 11522 वर्गमीटर है। ऋण की अदायगी हेतु गारण्टी के रूप मे ऋणी/सहऋणी/बंधनकर्ता ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके उक्त

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 09.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के अधिकृत अधिकारी ने दिनांक 22.04.2024 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से दिनांक 24.04.2024 को मांग नोटिस प्रेषित कर एवं उसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस (इंग्लिश) व सीमा संदेश (हिन्दी) मे दिनांक 30.06.2024 को प्रकाशित कर कुल बकाया राशि 3,87,661/– (अक्षरे तीन लाख सत्यासी हजार छः सौ इकसठ रूपये) दिनांक 22.04.2024 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई थी परन्तु ऋणी/सहऋणी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्तर्गत यह मांग पूरी नही की गई व किसी प्रकार की कोई ऋणी/सहऋणी द्वारा 13(2) के मांग नोटिस की आपत्ति नही दी गई। बैंक को सम्पत्ति के विरूद्व खाते राशि रूपये 3,87,661/– (अक्षरे तीन लाख सत्यासी हजार छः सौ इकसठ रूपये) दिनांक 22.04.2024 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/सहऋणी से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को उपरोक्त वर्णित गिरवीकृत परिसम्पत्ति अचल सम्पत्ति का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् का उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है इस हेतु अधिनिमय की धारा 14 के अन्तर्गत आपकी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है का पता निम्न हैः–अचल सम्पत्ति– फ्लेट नं0 ई–ए–डीए/जी/09, मारूति रेजीडेन्सी, ग्राम नानी, पालवास रोड, सीकर, राजस्थान–332001 मे स्थित है जो कि श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री रमेश कमार व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 11522 वर्गमीटर है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस बी सिविल रिट पीटिशन नम्बर 14449/2025 मे पारित आदेश दिनांक 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत खर्चा जमा कराने की आवश्कता नही होने से प्रार्थी कम्पनी को सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने हेतु निःशुल्क पुलिस इमदाद उपलब्ध करायसे जाने का आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण मद संख्या 10 मे दिया गया है का कब्जा ऑथोराईज्ड ऑफिसर को दिलाये जाने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराई जावे। उक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा लिए जाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधित पुलिस थाने/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमीश्नर को आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराने जाने हेतु निर्देशित किया जावे। अन्य कोई आदेश जो कि प्रार्थी के हक मे हो दिलाये जाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी एक्सिस बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एक्सिस बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एक्सिस बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एक्सिस बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एक्सिस बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एक्सिस बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एक्सिस बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति फ्लेट नं0 ई–ए–डीए/जी/09, मारूति रेजीडेन्सी, ग्राम नानी, पालवास रोड, सीकर, राजस्थान–332001 मे स्थित है जो कि श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री रमेश कमार व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 11522 वर्गमीटर है का पजेशन प्रार्थी एक्सिस बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी एक्सिस बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं